न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील् संख्या 277 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 277

1. पवन उम्र 7 वर्ष
2. पूनम उम्र 3 वर्ष

} पुत्र धर्मपाल जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सन्तोष पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन रामवास तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. लीलुराम पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।
3. परमेश्वरी पत्नी लीलुराम जाति जाट साकिन रामबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2022

द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, प्र. सं. 3 / 2017

अनवान पवन आदि बनाम बनवारीलाल आदि

उपस्थितिः—

श्री हवा सिंह पूनिया, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 08.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वा 88, 188 आरटीएक्ट सन् 1955 के तहत पेश किया। वादपत्र के साथ धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थना–पत्र की मद सं0 2 में सायलान के पड़दादा बनवारी को उनके पिता रामजीलाल से विरास्तन प्राप्त हुई है। गैरसायलान सं0 1 के पिता का रामजीलाल का कई वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। गैरसालय सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण दावा की मद सं0 3 में दर्ज कृषि भूमि उनके नाम दर्ज चली आ रही है एवं कुछ कृषि भूमि गेरसायल सं0 2 व 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कुछ कृषि भूमि गैरसायल सं0 2 व 3 संयुक्त रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से गैरसायल सं0 1 ता 3 के साथ सायलान का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। गैरसायलान वाद कृषि भूमि को बिना संयुक्त परिवार की जायज जरूरत के रहन बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है इसलिए सायलान को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा और वे अपने हिस्से से वंचित हो जाऐगे। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

2. प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि सजरा खानदान अधूरा पेश किया गया हे। बनवारीलाल के दो लडत्रके व एक लडकी विमला मौजूद है सजरा खानदान में विमला का नाम दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि में से कुछ भूमि उनकी खरीद की हुई है। कुछ भूमि अप्रार्थी बनवारीलाल व उसके भाई मुंशी की नोतोडकर बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाई कृषि भूमि है। वाद में वर्णित कृषि भूमि उसकी दादालाई पैतृक पुश्तैनी सम्पति नहीं होने के कारण किसी प्रकार का न्यायाल से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस उपरान्त प्रार्थना–पत्र को आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत अदालत ने निर्णय में यही दर्ज किया कि मातहत अदालत को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए थी इस बात पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया सिर्फ प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार करने में ही अपनी रूचि दिखाई इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाने योग्य है। खाता संख्या 114/110 के ख. नं. 113 की 0.2660, 343 की 11.5870 कुल 11.8530 है0 में प्रतिवादी नं0 2 व लच्छीराम की 0.379 है0 ब0हि0ब0 खाता संख्या 60/57 के ख. नं. 114 की 1.2900 है0 भमि जो प्रतिवादी नं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं खाता संख्या 74/72 के ख. नं. 20 की 1.7330, 21 की 1.7080, 22 की 1.8340, 75 की 3.1750, 76 की 3.4910, 77 की 3.6180, 78 की 5.3640 कुल 20.9290 है0 भूमि में प्रतिवादी नं0 3 का 20 हिस्सा भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीद की भूमि थी जिसका बैयनामा परिवार की मुखिया होने के कारण रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के नाम करवा दिया गया था जो रेसपोडेण्ट्स की स्वअर्जित नहीं मानी जा सकती उसमें अपीलाण्ट्स का भी हक व हिस्सा है। उक्त तथ्यों को मातहत अदालत ने नजरअन्दाज किया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष साबित हैं एवं एक परिवार के सदस्य है विवाद आगे नहीं बढे इस बात को ध्यान में रखकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने सजरा खानदान नहीं दिर्शाया है। बनवारीलाल के दो लड़के जगदीश, धर्मपाल एवं एक पुत्री किसमता है। सजरा खानदान में विमला का नाम नहीं दर्शाया गया है। दावा की मद सं0 3 में वर्णित खाता सं0 114/110 के खसरा नं. 113, 143 की कुल 11.5870 है0 कृषि भूमि में से 0.379 है0 बारानी कृषि भूमि का अप्रार्थी सं0 2 लिलुराम व लच्छीराम ने दिनांक 19.03.2002 को काशीराम से कीमतन खरीद की हुई है। खाता सं0 60/57 के खसरा नं0 114 की 1.2900 है0 बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसको सन्तिया पि0 मु0 गोपी कौम महाजन साकिन रामबास से कीमत दिनांक 25.11.1968 को खरीद की हुई है। रोही रामबास के खाता सं0 74/72 के खसरा नं0 20, 21, 22, 75 से 78 की 20.9230 है0 बारानी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 3 का 20 हिस्सा दर्ज है को अप्रार्थी सं0 3 ने परमेश्वरी देवी पत्नी लिलुराम ने रामकुमार पि0 मु0 जग्गू जाति जाट निवासी रामबास से दिनांक 06.07.2004 को कीमतन खरीद की हुई है। रोही रामबास के खसरा नं0 112, 242 की कृषि भूमि अप्रार्थी बनवारीलाल व उसके भाई मुंशीराम की नोतोड़कर बंजर भूमि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को काबिल काश्त बनाई कृषि भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीया किसी प्रकार से वाद में वर्णित कृषि भूमि उसकी दादालाई पैतृक सम्पति नहीं होन के कारण किसी प्रकार का न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें उसका जन्म से प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुसार हक हिस्सा है जबकि रेस्पोडेण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि में से कुछ भूमि उसकी खरीद शुदा भूमि है एवं कुछ भूमि अप्रार्थी बनवारीलाल व उसके भाई काशीराम की नोतोड़कर बंजर भूमि को काबिल काश्त बनाई कृषि भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थीया किसी प्रकार से वाद में वर्णित कृषि भूमि उसकी दादालाई पैतृक पुश्तैनी सम्पति नहीं होने के कारण किसी प्रकार का अनुपतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। खातेदारी हक अधिकारों के निर्धारण का मूल वाद अभी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित एवं नोतोड़कर काबिल काश्त बनाई गई भूमि है अथवा नहीं तथा जिसमें अपीलाण्ट का कोई हकहिस्सा अथवा नहीं इसका निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में तय होना है। दोनों पक्षों के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रश्नगत भूमि को सुरक्षित रखने के लिए ताफैसला वाद स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.07.2022 निरस्त किया जाता है एवं आदेश जाता है कि रोही मौजा रामबास तहसील भादरा जमाबन्दी के खाता संख्या 114/110 की कुल 11.8530 है0 भूमि में से 0.739 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा खाता संख्या 60/57 के खसरा नं. 114 की 1.2900 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 74/72 के ख. नं. 20 की 1.7330, 21 की 1.7080, 22 की 1.8340, 75 की 3.1750, 76 की 3.4910, 77 की 3.6180, 78 की 5.3640 कुल एवं खा.सं. 59/56 के ख.नं. 112 की 2.3020, 212 की 4.2630 कुल 8.5650 है. 20.9230 है0 भूमि में से 20 हिस्सा भूमि को ताफैसला वाद रहन बैय एवं मुंतकिल नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख एवं मौका की यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Corr. wal
Date 29-7-2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रखें। अधीनस्थ न्यायलाय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....6.7.23.... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)